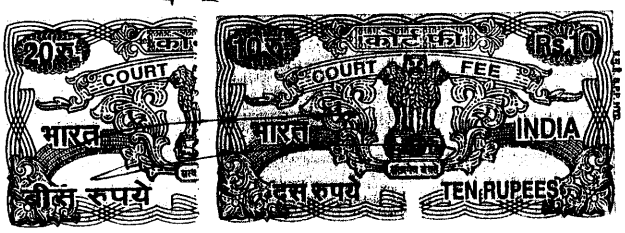

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

प्र.क्र.

संतोष तनय चरण सौर (आदिवासी)
निवासी ग्राम बेरखेरीखुर्द तह. व जिला सागर

.............निगरानीकर्ता / आवेदक

विरूद्ध

म.प्र.शासन

..........अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर सागर जिला सागर द्वारा प्रकरण क्र 161 / अ–21 / 14–15 पारित आदेश दिनांक 27 / 09 / 16 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :–

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा बेरखेरीखुर्द स्थित भूमि खसरा क्र 44 रकवा 1.620 हे. आवेदक की पैत्रिक भूमि है जिसको विक्रय किए जाने हेतु एंव ग्राम सापट स्थित खसरा क्र 347 रकवा 2.23 हे क्रय किए जाने की अनुमति प्राप्त हेतु एक आवेदन पत्र कलेक्टर सागर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें कलेक्टर सागर द्वारा दिनांक 25 / 8 / 15 को आवेदक को सशर्त भूमि विक्रय की अनुमति प्रदाय की गयी तथा क्रय विक्रय हेतु एक माह की अवधि निर्धारित की गयी परंतु आवेदक द्वारा निर्धारित समय अवधि में कोई अग्रिम कार्यवाही ना किए जाने उसके द्वारा समय अवधि बढाए जाने हेतु आवेदन पत्र कलेक्टर सागर के समक्ष प्रस्तुत किए जिनके आधार पर कलेक्टर सागर द्वारा दिनांक 2 / 11 / 15 एंव 21 / 12 / 15 को एक एक माह की समय अवधि बढाई गयी परंतु आवेदक को उसकी भूमि का उचित दाम ना मिलने कारण वह भूमि का क्रय विक्रय नहीं कर सका जिस कारण से उसके द्वारा पुनः समय अवधि बढाए जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे कलेक्टर सागर द्वारा निरस्त कर दिया गया है जिससे परिवेदित होकर निगरानीकर्ता की यह निगरानी सशक्त आधारों पर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश –ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-208/I/17 **जिला** ....सागर............

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-1-17	1– आवेदक के अधिवक्ता श्री नितेन्द्र सिंधई एंव अनावेदक शासन पक्ष से पैनल अधिवक्ता उपस्थित उनके तर्क श्रवण किए गए। 2– मैने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी कलेक्टर सागर जिला सागर म0प्र0 के प्र. क्र. 161/अ–21/वर्ष 14–15 में पारित आदेश दिनांक 27/09/16 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है। निगरानी के साथ विलंब माफ किए जाने के लिए धारा 5 म्याद अधिनियम का आवेदन पत्र शपथ पत्र सहित प्रस्तुत किया है। 3– आवेदक के विलंब माफ किए जाने के तर्कों पर विचार कर प्रस्तुत न्याय दृष्टांत एम.पी.एल.जे. 2015 भाग 4 सुप्रीम कोर्ट कार्यपालन अधिकारी अंतीपुर नगर पंचायत विरूद्व जी आरूमुगम न्याय दृष्टांत के परिपेक्ष्य में निगरानी में हुए विलम्ब को माफ किया जाता है। 4– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि आवेदक द्वारा ग्राम बेरखेरीखुर्द स्थित भूमि खसरा क्र 44 रकवा 1.620 को विक्रय किए जाने एंव ग्राम सापट स्थित खसरा क्र 347 रकवा 2.23 हे भूमि को क्रय किए जाने की अनुमति हेतु एक आवेदन पत्र कलेक्टर सागर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसके आधार पर कलेक्टर द्वारा प्रकरण क्र 161/अ–21/14–15 पंजीबद्व कर दिनांक 25/8/2015 को आवेदक को सशर्त भूमि विक्रय की अनुमति प्रदान की गयी थी जिसमें कलेक्टर द्वारा क्रय विक्रय की अवधि एक माह प्रदान की गयी जिसको उनके द्वारा दिनांक 2/11/15 एंव 21/12/15 को एक एक माह के लिए बढाया गया परंतु आवेदक को अपनी भूमि का उचित मूल्य का क्रेता ना मिलने के कारण वह भूमि का विक्रय निर्धारित समय अवधि में नहीं कर सका	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
	जिस कारण से उसके द्वारा पुनः अवधि बढाए जाने हेतु एक आवेदन पत्र कलेक्टर सागर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसे उनके द्वारा दिनांक 27/9/16 को निरस्त कर दिया गया है इस कारण से यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। 5— उभयपक्ष अधिवक्तागणों के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। इस प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि कलेक्टर सागर द्वारा दिनांक 25/8/15 को आवेदक को भूमि का क्रय विक्रय एक माह में किए जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी जिसको उनके द्वारा दिनांक 2/11/15 एंव 21/12/15 को बढाया भी गयी परंतु इसके उपरांत भी आवेदक निर्धारित अवधि कोई कार्यवाही नहीं कर सका जिस कारण से कलेक्टर सागर द्वारा आवेदक का समय अवधि बढाए जाने का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है। चूंकि आवेदक का तर्क है कि उसको भूमि का उचित मूल्य प्राप्त नहीं हो रहा था इस कारण वह उसको विक्रय नहीं कर सका प्राकृतिक प्रतीत होता है। साधरण रूप में कोई भी अपनी भूमि को कम या अनुचित मूल्य पर विक्रय नहीं करेगा। इस कारण से कलेक्टर सागर द्वारा अवधि बढाए जाने का आवेदन पत्र निरस्त किए जाने का आदेश पारित किया है वह मैं स्थिर रखे जाने योग्य नहीं पाता हूँ। 6— उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर सागर द्वारा प्रकरण क्र 161/अ—21/14—15 में पारित आदेश दिनांक 25/8/15 को यथावत् रखते हुए उसमें वर्णित समय अवधि को इस आदेश दिनांक से आगामी 6 माह की अवधि के लिए बढाया जाता है। तदानुसार यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	